सम्मन केस, परिवाद जांच, धोखाधड़ी के प्रकरण पीडित प्रतिकर योजना व आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के संबंध में निर्देश

Content

Time: 90 min

1. सम्मन केस में धारा 257 एवं 258 दं.प्र.सं. द्वारा निस्तारण के संबंध में, कमांक 2734–86 दिनांक 27.02.2019
2. धारा 202 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत प्राप्त परिवादों के संबंध में, कमांक 6659 दिनांक 27.03.2019
3. धोखाधड़ी संबंधी प्रकरणों के संबंध में, कमांक 1601–1676 दिनांक 22.01.2019
4. अवैध खनन की रोकथाम के संबंध में, कमांक 2297–2367 दिनांक 31.01.2019
5. आपराधिक प्रकरण में पीड़ित व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के अंतर्गत प्रतिकर, कमांक 2682–734 दिनांक 27.02.2019
6. चाईनीज मांझे के उपयोग पर प्रभावी रोक के संबंध में, कमांक 659–739 दिनांक 10.01.2019
7. शराबबंदी आन्दोलन के संबंध में दिनांक 25.01.2019 को आयोजित बैठक में लिए गय निर्णय की पालना के संबंध मे, कमांक 5919–90 दिनांक 13.03.2019
8. परिपत्र बाबत् स्वेच्छा से विवाह करने वाले दम्पत्तियों की सुरक्षा के संबंध में, कमांक 541 दिनांक 18.01.2019

कार्यालय अति. महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा

राजस्थान

क्र.सं. 2734-86 दिनांक:- 27-02-2[illegible]

समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर,
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक मय जी.आर.पी., राजस्थान पुलिस।

विषयः सम्मन केस में धारा 257 एवं 258 दं.प्र.सं. द्वारा निस्तारण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर पीठ द्वारा D.B. Criminal Appeal No. 1112 / 2014 में दिनांक 11.02.2019 को दिए गए आदेश के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित आदेश के क्रम में लेख है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में आपराधिक प्रकरणों का वर्गीकरण सम्मन केस व वारंट केस के रूप में किया गया है। सम्मन केस से अभिप्रेत है कि ऐसे प्रकरण जिनमें अधिकतम सज़ा 2 वर्ष के कारावास तक या उससे कम है। शेष प्रकार के केस वारंट केस की श्रेणी में आते हैं।दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 257 एवं 258 में सम्मन केस में परिवाद वापस लेने अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल बंद करने की व्यवस्था उपलब्ध है।

कई बार विभिन्न कारणों से विशेषकर जहाँ आरोपी लम्बे समय से न्यायालय में उपस्थित नहीं [illegible] तो साधारण प्रकृति के अपराधों में धारा 257 एवं 258 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कार्रवाई से प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है।

इस हेतु आप आपके थाने के सम्बंधित न्यायालय में पदस्थापित अभियोजन अधिकारी/ सहायक अभियोजन अधिकारी से संपर्क कर न्यायालय में जैर-ट्रायल प्रकरणों की सूची तैयार कर, उनका सम्मन केस व वारंट केस के रूप में वर्गीकरण करें। उनमें से ऐसे सम्मन केसों की सूची, जिसमें अपराधी लम्बे समय से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है, उनमें धारा 257 एवं 258 दं.प्र.सं. में अग्रिम कार्रवाई हेतु सम्बंधित न्यायालय को निवेदन करें। इस सम्बन्ध में न्यायालय को माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर पीठ द्वारा D.B. Criminal Appeal No. 1112/2014 में दिनांक 11.02.2019 को दिए गए आदेश (सलंग्न) की प्रति भी

☎: +91-141-2740873 🖷: +91-141-2740682 ✉: adgp.crimebranch@rajpolice.gov.in

Scanned by CamScanner

उपलब्ध कराएं जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्देश दिए हैं।

अतः समस्त पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त अपने क्षेत्र के उन सभी प्रकरणों को, जो इस श्रेणी में (सम्मन केस) आते हैं तथा जिनमें अभियुक्त लम्बे समय से नहीं मिल रहे हैं या अन्य कारण से ट्रायल बाधित है, की सूची बनाकर सम्बंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 257 व 258 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रकरणों के निस्तारण हेतु आवेदन करें। दिनांक 10 मार्च तक ऐसे चिन्हित प्रकरणों की सूची भेजें तथा 1 अप्रैल, 2019 तक इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट दिनांक 5.04.2019 तक भेजें। समस्त रेंज महानिरीक्षक / पुलिस आयुक्त इसमें अधीनस्थ अधिकारियों को प्रेरित कर पालना सुनिश्चित कराएं।

यह महानिदेशक पुलिस राजस्थान द्वारा अनुमोदित है।

सद्भावी,

संलग्नः उपरोक्तानुसार ।

(भगवान लाल सोनी)
अति. महानिदेशक पुलिस,
अपराध शाखा,
राजस्थान

[illegible] एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैं -

[illegible] प्रशिक्षण, प्रशासन एवं कानून-व्यवस्था,

[illegible] स्थान पुलिस ।

[illegible] समस्त रेंज महानिरीक्षक, राजस्थान ।

अति. महानिदेशक पुलिस,
अपराध शाखा,
राजस्थान

Scanned by CamScanner

(7)

अति–आवश्यक

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।।

क्रमांक : 1601–1676. दिनांक :– 22/01/2019

आदेश

विषय :– धोखाधड़ी संबंधी प्रकरणों के संबंध में।

ऐसा ध्यान में आया है कि भा.द.सं. के धोखाधड़ी संबंधी प्रकरण यथा धारा 409, 420, 406, 467, 468 व 471 भा.द.स. आदि की पत्रावलियों में समग्र/सही अनुसधान किये बिना ही एफ.आर. अदमबकू सिविल नेचर में दी जाकर निस्तारण कर दिया जाता है।

इस प्रवृत्ति को रोकने तथा इस तरह के गत वर्ष के प्रकरणों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाते है:–

1. रेंज/आयुक्तालय में प्रत्येक जिले से 5–5 धोखाधड़ी शीर्षक से संबंधी प्रकरणों की पत्रावलियाँ, जो वर्ष 2018 के सबसे अन्त में निस्तारित की गई हो, का स्वयं के स्तर पर परीक्षण कराएंगे।
2. पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त जिले के प्रत्येक वृत्त के 5–5 धोखाधडी शीर्षक से संबंधी ऐसे प्रकरणों की पत्रावलियाँ, जो वर्ष 2018 के सबसे अन्त में निस्तारित की गई हो, का स्वयं के स्तर पर परीक्षण कराएंगे। यह प्रकरण उन प्रकरणों के अलावा होंगे जो रेंज/आयुक्तालय के स्तर पर परीक्षण हेतु भेजे जाएं।
3. वृत्ताधिकारी/सहायक पुलिस आयुक्त अपने वृत्त के प्रत्येक पुलिस थाने के 5–5 धोखाधड़ी शीर्षक संबंधी ऐसे प्रकरणों की पत्रावलियाँ, जो वर्ष 2018 के सबसे अन्त में निस्तारित की गई हो, का स्वयं के स्तर पर परीक्षण करेंगे। यह प्रकरण उन सभी प्रकरणों के अलावा होंगे जो रेंज/आयुक्तालय तथा जिला स्तर पर परीक्षण हेतु भेजे गए हैं।
4. मूल अनुसंधान पत्रावलियाँ न्यायालय में पेश की जा चुके प्रकरणों का सत्यापन वृत्त कार्यालय पत्रावली से किया जाएगा।

(8)

5. इन सभी प्रकरणों की अनुसंधान पत्रावलियों में किये गये अनुसंधान का परीक्षण दिनांक 10.02.2019 तक पूर्ण किया जाए।
6. इन प्रकरणों में पूर्व के अनुसंधान में त्रुटि/कमी पाई जाने पर उन्हें रि–ओपन कर दिनांक 28.02.2019 तक पुनः अनुसंधान पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा।
7. पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त संबंधित रेंज महानिरीक्षक पुलिस/पुलिस आयुक्त को परीक्षण किये गए प्रकरणों की विस्तृत रिपोर्ट दिनांक 15.02.2019 तक प्रेषित करेगें।
8. इन प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट रेंज महानिरीक्षक पुलिस/पुलिस आयुक्त द्वारा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध) राजस्थान को दिनांक 25.02.2019 तक प्रेषित की जाएगी।

संलग्नः– प्रोफार्मा (एक्सेल सीट)

(कपिल गर्ग)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. महानिदेशक पुलिस, ए.टी.एस. एवं एस.ओ.जी., राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर
3. महानिदेशक पुलिस, प्रशासन, कानून एवं व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान/पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
6. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जी.आर.पी./समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

धोखाधड़ी संबंधी प्रकरणों के संबंध में (ई–मेल द्वारा संलग्न प्रोफोर्मा में)								
क्र.सं.	अभियोग संख्या	पुलिस थाना व जिला	नाम व पद अंतिम अनुसंधान अधिकारी	आदेशकर्ता का नाम व पद	परीक्षण कार्यालय का नाम	परीक्षण का परिणाम (अन्वेषण सही अथवा गलत)	प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई	विभागीय कार्रवाई यदि कोई की गई हो तो

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सी.आई.डी. (अपराध शाखा), राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः सी.आई.डी / सीबी / अवैध खनन / पीआरसी / 2019 / 2297-2367 दिनांक– 31-01-2019

समस्त पुलिस उपायुक्त जयपुर / जोधपुर,
समस्त जिला पुलिस अधीक्षकगण मय
जीआरपी अजमेर / जोधपुर।

विषयः–अवैध खनन की रोकथाम के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान राज्य में वन क्षेत्र एवं अन्यत्र क्षेत्रों में अवैध खनन की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। इस कार्य हेतु खनन विभाग द्वारा उनके स्तर पर की जा रही कार्रवाई के अतिरिक्त कुछ जिलों में जिला कलेक्टर द्वारा विशेष टीमों का गठन किया जाकर विशेष अभियान चलाये जाते हैं तथा वन क्षेत्रों में अवैध खनन की रोकथाम हेतु भी इसी प्रकार कार्रवाई की जाती है। अतः आप अपने जिले में अवैध खनन की रोकथाम के संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें:–

1. यदि जिला कलेक्टर द्वारा आपके जिले में संयुक्त टीम बनायी जाती हैं तो उसमें पूर्ण सहयोग एवं समर्थन प्रदान करें।
2. वन विभाग के अधिकारियों द्वारा आपके क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम हेतु कार्रवाई में पूर्ण सहयोग एवं समर्थन प्रदान करें।
3. अवैध खनन के संबंध में प्रभावी आसूचना संकलन करें, निरोधात्मक कार्रवाई करें तथा उचित प्रकरणों में तुरन्त एफआईआर पंजीबद्ध कर विधिसम्मत कार्रवाई करते हुये त्वरित अनुसंधान पूर्ण कर निस्तारण करें।
4. यह सुनिश्चित करें कि अवैध खनन में पुलिस कर्मियों की संलिप्तता नहीं हो ।

31/1/19

(भगवान लाल सोनी)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
सी.आई.डी (अपराध शाखा)
राजस्थान,जयपुर।

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, ए.टी.एस. एवं एस.ओ.जी., प्रशिक्षण, प्रशासन एवं कानून–व्यवस्था, राज0 ।
3. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान ।
4. पुलिस आयुक्त जयपुर / जोधपुर।
5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक रेंज, राजस्थान ।
6. रक्षित पत्रावली।

31/1/19

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
सी.आई.डी (अपराध शाखा)
राजस्थान,जयपुर।

R-793
5.2.19

कार्यालय अति. महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान

क्र.सं. 2682-734 दिनांक:- 27-02-2

परिपत्र

विषय:- अपराधिक प्रकरण में पीडित व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के अंतर्गत प्रतिकर ।

पुलिस द्वारा पीड़ित व्यक्ति के परिवाद पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान कर नतीजा अनुसंधान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। इस कार्य में सामान्यतः पुलिस द्वारा पीड़ित को उस आपराधिक कृत्य से हुई हानि का अनुमान नहीं लगाया जाता जिसके फलस्वरूप न्यायालय द्वारा पीड़ित को धारा 357 दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रतिकर जारी करने में कठिनाई एवं देरी होती है। आरोपियों की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है जिससे न्यायालय इस सम्बन्ध में आरोपी से पीड़ित को मुआवजा आदि के उचित आदेश पारित कर सके।

इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक र-9ख(64) राजकाज-2979 / विधि / 2017 / 153-204 दिनांक 02.01.2019 द्वारा भी निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः भविष्य में समस्त प्रकरणों में अनुसंधान पूर्ण होने पर न्यायालय में धारा 173 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अनुसंधान रिपोर्ट (एफ.आर. अदम वकू के अतिरिक्त) प्रस्तुत करते समय संलग्न प्रारूप में आवश्यक सूचनाएं एकत्रित कर न्यायालय में आरोप-पत्र के साथ पेश करें। समस्त पर्यवेक्षक अधिकारी किसी भी प्रकरण में निस्तारण आदेश देते समय यह सुनिश्चित करें कि अनुसंधान अधिकारी / थानाधिकारी द्वारा इस प्रारूप की पूर्ति कर पत्रावली में सूचना शामिल कर ली है।

यह महानिदेशक पुलिस राजस्थान द्वारा अनुमोदित है।

सदभावी,

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

27/2/19

(भगवान लाल सोनी)
अति. महानिदेशक पुलिस,
अपराध शाखा,
राजस्थान

☎: +91-141-2740873, 🖷: +91-141-2740682 ✉: adgp.crimebranch@rajpolice.gov.in

(116)

प्रतिलिपि : निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है -

1. महानिदेशक पुलिस, ATS एवं SOG, प्रशिक्षण, प्रशासन एवं कानून-व्यवस्था, राजस्थान।
2. समस्त अति. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान पुलिस।
3. पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर एवं समस्त रेंज महानिरीक्षक, राजस्थान।
4. समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर एवं समस्त जिला पुलिस अधीक्षक मय जी.आर.पी., राजस्थान पुलिस।
5. रक्षित पत्रावली।

27

अति. महानिदेशक पुलिस,
अपराध शाखा,
राजस्थान

☎ :+91-141-2740873 🖷 :+91-141-2740682 ✉ :adgp.crimebranch@rajpolice.gov.in

147

पुलिस थाना _____, जिला _____

FIR संख्या _____/_____

नतीजा अनुसंधान चार्जशीट / एफ. आर. संख्या _____ अंतर्गत धारा _____

पीड़ित व्यक्ति का विवरण:

क्र.सं.	पीड़ित व्यक्तियों का विवरण								पीड़ित व्यक्ति को हुई हानि				
	नाम	पिता का नाम	उम्र / जन्म दिनांक	जाति	पता	मोबाइल नंबर / टेलीफोन नंबर / ईमेल पता	वार्षिक आय (रूपये)	यदि पीड़ित किसी सरकारी योजना का लाभार्थी है तो उसका विवरण (योजना का नाम तथा पंजीकरण संख्या)	आर्थिक हानि (चोरी गई संपति, गबन / दुर्विनियोग की गई राशी / संपति का मूल्य, चल संपति को नुकसान आदि का विवरण एवं मूल्य, रूपये में)	अचल संपति की हानि का विवरण एवं मूल्य (अचल संपति को नुकसान / नष्ट करना आदि, रूपये में)	चिकित्सा सम्बन्धी (शारीरिक क्षति के कारण चिकित्सा कार्यों पर व्यय, रूपये में)	अन्य किसी प्रकार की हानि, जो पूर्व में अंकित नहीं की गई, का मूल्य (रूपये)	कुल हानि (रूपये)

नोट : पीड़ित व्यक्तियों की वार्षिक आय एवं सरकारी योजना के लाभार्थी होने की स्थिति में उस योजना का पहचान पत्र / प्रमाण पत्र संलग्न करें।

P.T.O.

☎: +91-141-2740873 🖷: +91-141-2740682 ✉: adgp.crimebranch@rajpolice.gov.in

पुलिस थाना _____, जिला _____

FIR संख्या ____/____

नतीजा अनुसंधान चार्जशीट / एफ. आर. संख्या _____ अंतर्गत धारा _____

आरोपीयों का विवरण:

क्र.सं.	आरोपीयों का विवरण							आरोपियों की घटना में भूमिका	
	नाम	पिता का नाम	उम्र / जन्म दिनांक	जाति	पता	मोबाइल नंबर / टेलीफोन नंबर / ईमेल पता	वार्षिक आय (रूपये)	आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट में प्रमाणित धाराएं	आपराधिक घटना में आरोपी द्वारा कारित कृत्य

नोट : आरोपी की वार्षिक आय का प्रमाण संलग्न करें।

☎: +91-141-2740873 🖷: +91-141-2740682 ✉: adgp.crimebranch@rajpolice.gov.in

कार्यालय अति.महानिदेशक पुलिस, सीआईडी (अपराध शाखा)
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः- 689-739 दिनांक :- 10.01.2019

समस्त उपायुक्त जयपुर/जोधपुर।
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।

विषयः- चाईनीज मांझे के उपयोग पर प्रभावी रोक के संबंध में।

यह पाया गया है कि लोगों द्वारा पतंग उड़ाने में धातु मिश्रित चाईनीज मांझे का उपयोग किया जा रहा है। इस धातु मिश्रित चाईनीज मांझे से पंतग उड़ाने से ना केवल बड़ी संख्या में पक्षी घायल होते है, बल्कि सड़क पर पैदल चलने वाले और दुपहिया वाहन पर चलने वाले राहगीरों का जीवन भी संकटापन्न हो जाता है। इस तरह के पशु, पक्षी और मानव जीवन के लिए खतरनाक मांझे के उपयोग पर प्रभावी रोकथाम के उपाय किया जाना आवश्यक है। मकर संक्रांति पर लोग भारी संख्या में पतंग उड़ाते है। इन दिनों में यह खतरा और अधिक बढ़ जाता है। सभी जिला पुलिस अधीक्षक अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट से समन्वय कर धातु मिश्रित चाईनीज मांझे के प्रयोग से होने वाले खतरों से जन साधारण को अवगत कराते हुये ऐसे मांझे के क्रय-विक्रय, भंडारण व उपयोग पर धारा 144 द.प्र.सं. के अन्तर्गत निषेधात्मक आदेश जारी कराने का उपक्रम करें।

निषेधात्मक आदेश जारी होने के बाद इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। फिर भी यदि कोई व्यक्ति धारा 144 द.प्र.सं. के अन्तर्गत निषेधात्मक आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध धारा 188 द.प्र.सं. में प्रभावी कानूनी कार्यवाही की जाए तथा ऐसी घातक सामग्री को जप्त करने की कारवाई की जाए। धातु मिश्रित चाईनीज मांझे के उपयोग को रोकने के लिए जन जागृति में थाने की सीएलजी और क्षेत्र के अन्य सामुदायिक समूहों का भी सक्रिय सहयोग लिया जाए।

10/1/19

(भगवान लाल सोनी)
अति.महानिदेशक पुलिस,
सीआईडी (अपराध शाखा)
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपिः- 1. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस रेंज जयपुर/ अजमेर /उदयपुर /कोटा /भरतपुर /जोधपुर / बीकानेर ।

10/1/19

अति.महानिदेशक पुलिस,
सीआईडी (अपराध शाखा)
राजस्थान जयपुर।

कार्यालय अति. महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान

क्रमांक सीआइडी / सीबी / पीआरसी / 2019 / 5919-90 दि. 13.03.2019

समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर एवं जोधपुर,
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक मय जी.आर.पी., राजस्थान।

विषयः शराबबंदी आन्दोलन के संबंध में दिनांक 25.01.2019 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय की पालना के संबंध में।

संदर्भः वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (सुरक्षा) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र कमांक प.9 (1) गृह–5 / 2017 दिनांक 12.03.2019 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संदर्भ में लेख है कि राज्य में शराब बिक्री हेतु लाईसेंस धारी द्वारा अपनी नियमित दुकान के अलावा, लाईसेंस के अतिरिक्त अन्य दुकानों (ब्रांच) का भी संचालन अवैध रूप से किया जा रहा है जिसके कारण अवैध शराब का व्यापार हो रहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि लाईसेंस के अतिरिक्त अन्य दुकानों (ब्रांच) का अवैध संचालन पर रोक लगाने हेतु आबकारी निरोधक दस्तों से समन्वय स्थापित कर निम्नांकित बिंदुओं पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें:–

1. अपने–अपने जिलों में लाईसेंस के अतिरिक्त अन्य दुकानों (ब्रांच) का अवैध संचालन पर रोक लगाने हेतु आबकारी निरोधक दस्तों से समन्वय स्थापित कर अवैध ब्रान्चों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करें।
2. राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों के पास चल रही अवैध दुकानों एवं प्रचार करने वाले विज्ञापनों पर आबकारी निरोधक दस्तों से समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें।

13/3/19

(भगवान लाल सोनी)
अति. महानिदेशक पुलिस,
अपराध शाखा,
राजस्थान

प्रतिलिपि : निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है –

1. महानिदेशक पुलिस, ATS एवं SOG, प्रशिक्षण, प्रशासन एवं कानून–व्यवस्था, राजस्थान।
2. समस्त अति. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान पुलिस।
3. पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर एवं समस्त रेंज महानिरीक्षक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (सुरक्षा) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र कमांक प.9 (1) गृह–5 / 2017 दिनांक 12.03.2019 के कम में।
5. रक्षित पत्रावली।

13/3/19

अति. महानिदेशक पुलिस,
अपराध शाखा,
राजस्थान

☎: +91-141-2740873 🖷: +91-141-2740682 ✉: adgp.crimebranch@rajpolice.gov.in

Scanned by CamScanner

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान

क्र.सं. 541 दि. 18.01.2019

परिपत्र

राज्य में बालिग पुरुष एवं महिला के एक-दूसरे से स्वेच्छा से विवाह करने पर उनके परिवारजनों एवं उनके जाति-समाज के लोगों द्वारा उन्हें परेशान करने अथवा अनावश्यक कानूनी कार्रवाई करने के प्रकरण सामने आते रहते हैं | अनेक बार यह विवाह अन्तर्जातीय अथवा भिन्न-भिन्न धर्मों के पुरुष एवं महिला के मध्य होते हैं | माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान, जयपुर पीठ ने SB Criminal Miscellaneous Petition No. 2/2019 में अपने दिनांक 4.01.2019 के आदेश द्वारा निर्देशित किया है कि ऐसे प्रकरणों में ऐसे युगल की मदद / सुरक्षा के लिए नोडल अधिकारी का मनोनयन किया जाए तथा राज्य सरकार को ऐसे युगल के लिए आश्रय स्थल (shelter home) स्थापित करने का सुझाव प्रेषित किया जाए | इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :

1. पुलिस थाना स्तर पर थाने में उपलब्ध वरिष्ठतम महिला पुलिसकर्मी इस कार्य हेतु नोडल अधिकारी नियत की जाए |
2. इसी प्रकार प्रत्येक जिला मुख्यालय पर पदस्थापित वरिष्ठतम महिला पुलिस अधिकारी, जो पुलिस उप-निरीक्षक से निम्न पद की नहीं होगी, को इस कार्य हेतु जिला नोडल अधिकारी नियत किया जाए |
3. पुलिस मुख्यालय में इस कार्य हेतु एक महिला IPS अधिकारी राज्य नोडल अधिकारी होंगी जिनकी सहातार्थ एक महिला RPS अधिकारी नियुक्त की जाएंगी | अग्रिम आदेशों तक श्रीमती लवली कटियार, पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा को राज्य नोडल अधिकारी एवं श्रीमती शालिनी सक्सैना, अति. पुलिस अधीक्षक, राज्य विशेष शाखा को राज्य सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है |
4. उक्त प्रकार के प्रकरणों में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी :
    a. पुलिस थाना, जिला एवं राज्य स्तर पर एक whatsapp helpline प्रारम्भ की जाए तथा इसका उचित प्रचार किया जाए | इस helpline पर ऐसा युगल पुलिस सहायता हेतु संपर्क कर सकेगा |

(120)

b. इस helpline पर प्राप्त सूचनाओं का एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा और उसे पुलिस थाने की ड्यूटी अफसर, जिला नियंत्रण कक्ष एवं ड्यूटी अधिकारी, अपराध शाखा, पुलिस मुख्यालय राजस्थान के कक्ष में रखा जाएगा।

c. राज्य या जिला स्थर पर सूचना प्राप्त होने पर इसका इन्द्राज सम्बंधित रजिस्टर में किया जाकर तथा राज्य / जिला नोडल अधिकारी के संज्ञान में लाकर इसे तत्काल सम्बंधित पुलिस थाने के नोडल अधिकारी को स्थानातरित किया जाएगा।

d. प्राप्त सूचना के सम्बन्ध में सर्वप्रथम CLG एवं समाज के प्रमुख व्यक्तियों के माध्यम से दोनों पक्षों के परिवारों को परामर्श प्रदान किया जाएगा ताकि ऐसे युगल एवं उनके परिवारों में आपसी सूझबूझ से इस प्रकार के विवाद का हल निकाला जा सके।

e. आवश्यक मामलों में द.प्र.सं. के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी।

f. उपयुक्त मामलों में प्र.सू.रि. पंजीबद्ध कर प्राथमिकता से निस्तारण जाएगा।

g. आवश्यक मामलों में ऐसे युगल को सुरक्षा हेतु उचित उपाय किये जाएंगे।

h. यदि युगल में से कोई एक या दोनों नाबालिग हों तो उसे / उन्हें भी उप-बिंदु सं. (d) में वर्णित प्रक्रिया के अनुरूप परामर्श दिया जाएगा तथा उन्हें बालिग होने तक अपने अभिभाषक (lawful guardian) के परामर्श का अनुसरण करने हेतु प्रेरित किया जाएगा।

अतः उक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें। यह परिपत्र महानिदेशक पुलिस, राजस्थान से अनुमोदित है।

सद्भावी,

(जंगा श्रीनिवास राव)
अति. महानिदेशक पुलिस,
सिविल राइट्स
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि :-

1. पुलिस महानिदेशक, ATS एवं SOG, ट्रेनिंग, प्रशासन एवं कानून-व्यवस्था को सूचनार्थ / आवश्यक कार्रवाई हेतु।

(121)

2. समस्त अति. महानिदेशकगण, राजस्थान पुलिस को सूचनार्थ / आवश्यक कार्रवाई हेतु |
3. पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर एवं समस्त रेंज महानिरीक्षकगण, राजस्थान पुलिस को सूचनार्थ / पालना सुनिश्चित कराने हेतु |
4. उप-महानिरीक्षक पुलिस, कार्मिक को महानिदेशक पुलिस, राजस्थान की सूचना हेतु |
5. समस्त पुलिस उपायुक्तगण, जयपुर / जोधपुर एवं समस्त जिला पुलिस अधीक्षकगण, राजस्थान पुलिस को सूचनार्थ एवं पालना सुनिश्चित कराने हेतु |
6. रक्षित पत्रावली |

अति. महानिदेशक पुलिस,
सिविल राइट्स
राजस्थान, जयपुर